

By e-mail

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/22/1604


जयपुर, दिनांक 15-9-2022

—:आदेश:—

नगरपालिका, पिण्डवाडा, जिला सिरोही में श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापत, वार्ड सं0 06 के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से रिक्त हुए अध्यक्ष के पद का कार्यभार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(i)(क) के प्रावधानानुसार श्री चेलाराम देवासी वार्ड सं0 19, उपाध्यक्ष, नगरपालिका, पिण्डवाडा को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश तक एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 15-9-2022

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/22/1605-1617
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो0, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
5. जिला कलक्टर, सिरोही।
6. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही।
7. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
9. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
10. प्रोग्रामर आई.टी. सैल, निदेशालय।
11. श्री चेलाराम देवासी सदस्य वार्ड नं 19 नगर पालिका पिण्डवाडा।
12. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिण्डवाडा।
13. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी